कार्यालयः अंचल अधिकारी, कटकमदाग (हजारीबाग)

विविध वाद

अभिलेख संख्या 04/24-25

सविता सिंह पति–प्रमोद सिंह मौजा–मसरातु

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
29.05.24	सविता सिंह पति–प्रमोद सिंह, मोहल्ला–साकेतपुरी, हजारीबाग के द्वारा आवेदन के साथ केवाला एवं शुद्धि पत्र संलग्न करते हुए बतलाया गया है कि सविता सिंह पति–प्रमोद सिंह के नाम से मौजा– मसरातु खाता संख्या–49 प्लॉट संख्या–1601 रकवा–03 डी0 वो खाता संख्या–51 प्लॉट संख्या–1600 रकवा–02 डी0 कुल रकवा–05 डी0 भूमि की जमाबंदी पंजी–2 के भाग संख्या–14 पृष्ठ संख्या–34 पर कायम है, परन्तु ऑनलाईन पंजी–2 में इसकी प्रविष्टि नही हुई है । आवेदक के द्वारा तकरारी भूमि को ऑनलाईन प्रविष्ठ करने हेतु अनुरोध किया गया है । संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जमाबंदी से संबंधित जाँच प्रतिवेदन एवं अंचल अमीन से दखल से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की मांग करें । अभिलेख दिनांक 5.06.24 को रखें । 29.05.24 अंचल अधिकारी, कटकमदाग	
05.06.24	**अभिलेख उपस्थापित** राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक कटकमदाग के द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत् है – 1. खतियान के अनुसार मौजा– मसरातु, थाना नं0–125 अन्तर्गत खाता संख्या–49, 51 रैयती खाते की भूमि है । 2. प्रश्नगत भूमि CNT Act के अन्तर्गत है । 3. प्राधिकार कॉलम में दा0खा0 वाद–1052/14–15 अंकित है । 4. मौजा–सुलताना थाना संख्या–125 अन्तर्गत खाता संख्या–49 प्लॉट संख्या–1601 रकवा–03 डी0 वो खाता संख्या–51 प्लॉट संख्या–1600 रकवा–02 डी0 कुल रकवा–05 डी0 भूमि पर सविता सिंह पति–प्रमोद सिंह के नाम से कायम है । 5. तकरारी जमाबंदी को ऑनलाईन प्रविष्ट करने हेतु अनुशंसा की गई है । साथ ही अंचल अमीन, कटकमदाग के द्वारा मौजा– मसरातु थाना संख्या–125 अन्तर्गत खाता संख्या–49 प्लॉट संख्या–1601 रकवा–03 डी0 वो खाता संख्या–51 प्लॉट संख्या–1600 रकवा–02 डी0 कुल रकवा–05 डी0 भूमि के स्थानीय जाँच एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत प्रतिवेदित किया गया है, कि आवेदित भूमि पर केवालाधारी रैयत सविता सिंह पति–प्रमोद सिंह का दखल–कब्जा बताया गया । विवाद रहित पंजी–2 इन्द्राज के निमित आम–इस्तेहार निर्गत करते हुए दिनांक 20.06.24 तक आपति की मांग करें । अभिलेख दिनांक 20.06.24 को रखें । 05.06.24 अंचल अधिकारी, कटकमदाग	

Scanned with CamScanner

दिनांक	आदेश
20.06.24	**अभिलेख उपस्थापित** निर्धारित तिथि तक किसी भी रैयत के द्वारा आपति प्रस्तुत नही किया गया है । आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित करें । अंचल अधिकारी, कटकमदाग
14.08.24	**आदेश** राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक कटकमदाग के प्रतिवेदनानुसार आवेदक के नाम ऑफलाईन जमाबंदी कायम है तथा अंचल अमीन के प्रतिवेदन से आवेदित भूमि पर केवालेदार रैयत का दखल–कब्जा है । उपरोक्त जाँच के आधार पर मौजा– मसरातु थाना संख्या–125 अन्तर्गत खाता संख्या–49 प्लॉट संख्या–1601 रकवा–03 डी0 वो खाता संख्या–51 प्लॉट संख्या–1600 रकवा–02 डी0 कुल रकवा–05 डी0 भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं सत्यापित अंचल अधिकारी, कटकमदाग अंचल अधिकारी, कटकमदाग

Scanned with CamScanner

राजस्व उपनिरीक्षक एवं (Reg.-2 online चढ़ाने हेतु) अंचल निरीक्षक, कटकमदाग का जाँच प्रतिवेदन ।

1	सर्वे खतियान के अनुसार जमीन का किस्म एवं प्रकार।	रैयती
2	खतियान एवं जमाबंदी के अनुसार सी0एन0टी0 की स्थिति।	CNT मुक्त है
3	प्राधिकार कॉलम के अनुसार जमाबंदी कायम किये जाने का आधार।	जी.जी.-केस नं.-1052/14-15
4	पुरानी एवं चालु पंजी-2 के अनुसार जमाबंदी पृष्ठ, जमाबंदीदार का नाम एवं लगान कब से कब तक कटा है एवं भूमि से संबंधित खाता, प्लॉट, रकवा का विवरणी का उल्लेख।	मौजा - मसरात खाता / प्लॉट / रकबा 49 / 1601 / 03 डी. 51 / 1600 / 02 डी. कुल - 05 डी. ऑफलाइन पंजी-2 के पृष्ठ सं.-34/14 पर सविता सिंह पति-प्रमोद सिंह
5	ऑनलाईन एवं ऑफलाईन पंजी-2 के अनुसार प्रतिवेदन।	के नाम से जमाबंदी दर्ज है। उक्त खाता रकबा प्लॉट online
6	राजस्व उपनिरीक्षक का मंतव्य।	दर्ज नहीं है जिसे online चढ़ाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है

महाशय, स्थलीय जाँच एवं मौखिक साक्ष्य [illegible] वर्तमान में [illegible] सविता सिंह का [illegible]

उपनिरीक्षक 18-06-2024

03/05/24
RS2

राजस्व उपनिरीक्षक,
कटकमदाग।

7	अचंल निरीक्षक का मंतव्य -	

03/05/24

अंचल निरीक्षक,
कटकमदाग।

Digitally signed by BIJAY KUMAR MAHATO
Date: 2025.07.11 15:01:04 +05:30
Location: 192.168.223.100

Scanned with CamScanner